स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन, उ.प्र., लखनऊ में निवास करने वाले सेनानियों के लिए नियम

सेवा सदन के अधिवासी सेनानियों से प्रार्थना है कि वे निम्नलिखित नियमों का पालन करने में सेवा सदन के प्रबन्धकों को सहयोग प्रदान करेंगे:-

(1) सेवा सदन के अधिवासी सेनानियों से प्रार्थना है कि जब वे सेवा सदन से बाहर जायें तो कृपया अधीक्षक सेवा सदन को अवश्य सूचित करने का कष्ट करें ।

(2) अधिवासी सेनानी जब सेवा सदन से तीन दिन के लिए बाहर जायें तब कृपा कर अधीक्षक महोदय को सूचित करने का कष्ट करें ।

यदि वे तीन दिन से अधिक समय के लिये सेवा सदन से बाहर जायें तो निदेशक/सचिव महोदय की आज्ञा लेकर जायें ।

(3) प्रबन्धकों एवं सेवा सदन में ठहरे हुए सेनानियों की सुविधा हेतु सेनानी बन्धु रात्रि 10 बजे के बाद तथा सूर्योदय के पूर्व बाहर जाना चाहें तो अधीक्षक सेवा सदन को पूर्व सूचना देने का कष्ट करें ।

(4) सेवा सदन की सम्पत्ति सेनानियों के उपयोग और सुविधा के हेतु है । अतएव प्रबन्धकों के अलावा उनसे यह अपेक्षा है कि सेवा सदन की सम्पत्ति को उनके द्वारा किसी प्रकार की भी क्षति नहीं पहुंचाई जाय और यदि किसी सेनानी बन्धु से उस समय कोई नुकसान हो जाता है तो खेद है कि उनको उस क्षति का भुगतान करना होगा ।

(5) सेवा सदन के रहने वाले सेनानियों को भोजन शाकाहारी ही प्राप्त होगा । भोजन की उत्तम से उत्तम व्यवस्था को प्रबन्धकों द्वारा रखने का प्रयास लगातार रहेगा अतएव सेनानियों से प्रार्थना है कि जो भोजन सेवा सदन में उपलब्ध कराया जाय उसे उन्हें सहर्ष ग्रहण करना चाहिए ।

(6) यदि किसी सेनानी को सेवा सदन का भोजन ग्रहण न करना हो तो वे अधीक्षक सेवा सदन को पूर्व सूचना देकर सेवा सदन से बाहर भी भोजन कर सकते हैं, परन्तु बाहर किये हुए भोजन के भुगतान की जिम्मेदारी सेवा सदन पर नहीं होगी ।

(7) किसी भी सेनानी बन्धु को खाना, राशन या अन्य पदार्थ अलग से नहीं दिया जायेगा । सामूहिक रुप से जो भोजन सेवा सदन में बनेगा, सेनानी बन्धुओं को उसे ही ग्रहण करना उपयुक्त होगा ।

(8) बीमार सेनानी बन्धुओं को भोजन सेवा सदन के डाक्टर के परामर्शानुसार दिया जायेगा।

(9) यदि किसी सेनानी बन्धु के कोई रिश्तेदार या आश्रित सेवा सदन में आकर ठहरते हैं तो उनको सिर्फ तीन दिन तक अधीक्षक सेवा सदन निवास करने देंगे । तीन दिन से अधिक निवास करने वाले आकस्मिक अभ्यागत को निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् अनुमति प्रदान कर सकेंगे ।

(10) सेवा सदन में निवास करने वाले किसी भी सेनानी बन्धु को नौकरी या व्यापार करने की छूट नहीं दी जोयगी ।

(11) प्रत्येक सेनानी बन्धु से यह आशा की जाती है कि वह भोजन एवं नाश्ते के समय सेवा सदन में अवश्य उपस्थित रहेंगे । यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण सेनानी भोजन के लिये नहीं रह सकें तो उसकी पूर्व सूचना अधीक्षक, सेवा सदन को देने का कष्ट करें ताकि यदि वे बाद में भोजन करें तो उसकी व्यवस्था की जा सके ।

(12) सेनानी बन्धुओं की चिकित्सा सुविधा का प्रबन्ध सेवा सदन में है और यदि सेवा सदन के चिकित्सक यह संस्तुति दें कि अमुक सेनानी बन्धु की चिकित्सा बाहर कराना आवश्यक है, तो उसका प्रबन्ध सेवा सदन की ओर से लखनऊ के अस्पतालों में कराया जायगा परन्तु यदि कोई सेनानी स्वेच्छा से अपना इलाज बाहर करते हैं तो उसके व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी सेवा सदन पर नहीं होगी ।

(13) सेवा सदन में रहने वाले सेनानी बन्धुओं को अपने पहनने के कपड़ों की व्यवस्था स्वयं ही करनी होगी ।

(14) सेवा सदन के अन्दर शराब एवं अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग वर्जित है ।

(15) सेवा सदन का उपयोग किसी भी सेनानी या अन्य व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कार्यों या किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं करने दिया जायेगा जिससे कि भारत की प्रभुसत्ता, गरिमा और अखण्डता पर आँच आए ।

(16) सेनानियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि खाली कमरे में व्यर्थ बिजली (रोशनी) और पंखा चलता हुआ न रहने दें । यदि कोई सेनानी हीटर, टेबिल लैम्प, टेबिल फैन, बिजली का प्रेस या कूलर का प्रयोग निजी रुप से करते हैं तो उसका बिजली शुल्क उन्हें अलग से देना होगा ।

(17) सेनानी बन्धुओं से यह आशा की जाती है कि वे सेवा सदन के रेडियो या टेलीविजन का प्रयोग इस प्रकार करें ताकि अन्य सेनानी बन्धुओं को आपत्तिजनक एवं कष्टदायक न हो ।

(18) शत्रु देशों के समाचार आदि रेडियो पर सुनना वर्जित है ।

(19) जो सेनानी बन्धु सेवा सदन के टेलीफोन का प्रयोग स्थानीय जगहों के लिये करना चाहें वे कृपया पचास पैसा प्रति काल के हिसाब से शुल्क सेवा सदन कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें तथा उसकी रसीद प्राप्त कर लें ।

(20) जो सेनानी थोड़े समय के लिये सेवा सदन में आकर ठहरें वे कृपया सेवा सदन का दैनिक भुगतान अग्रिम रुप से करने का कष्ट करें ।

(21) कृपया कोई भी सेनानी अपने पास कीमती सामान या रुपया पैसा, जेवर इत्यादि न रखें, यदि कोई सामान इस प्रकार से खो जायेगा तो स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन उसका जिम्मेदार न होगा । यदि हो सके तो उसे अधीक्षक सेवा सदन के पास जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें ।

राधेश्याम शर्मा
निदेशक/सचिव
एवं विशेष कार्याधिकारी

दिनांक 19 जून, 1976